पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 20 अगस्त, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम–2019 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमति

मंत्रिपरिषद ने किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम–2019 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। यह नियम भारत सरकार द्वारा सृजित आदर्श नियम–2016 के प्राविधानों को अंगीकृत करते हुए बनाया गया है। किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम–2019 के प्रख्यापन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में बालकों की देख रेख और संरक्षण की कार्यवाही अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सकेगी।

ज्ञातव्य है कि बालकों की देख रेख और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम–2015 के प्रस्तर–110 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम–2019 सृजित किया गया है।

पूर्व प्रचलित अधिनियम–2000 एवं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत बालकों से सम्बन्धित कानून एवं उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत बालकों के विरुद्ध एवं बालकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य से जघन्य नवीन अपराधों का वर्गीकरण नए नियमों में किया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि विरुद्ध बालकों के सम्बन्ध में लम्बित जांचों के समयबद्ध निस्तारण का प्राविधान नवीन नियम में किया गया है। बालकों से

सम्बन्धित संस्थानों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किए जाने एवं नियमानुसार पंजीयन न होने की दशा में कठोर दण्ड का प्राविधान किया गया है।

दत्तक ग्रहण के सम्बन्ध में वर्तमान नियम में एक पृथक अध्याय सम्मिलित किया गया है, जिसमें अनाथ बच्चों को सुपात्र दम्पत्ति को गोद लिए जाने के प्राविधानों में पारदर्शिता लाते हुए प्रक्रिया को बालहितकारी बनाया गया है। नवीन नियम–2019 में बालकों की देख रेख और संरक्षण हेतु निर्धारित विविध प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु 46 विस्तृत स्पष्ट प्रारूप बनाए गए हैं, जिससे अधिनियम–2015 के प्राविधानों का क्रियान्वयन स्पष्ट और पारदर्शी रूप में किया जाना सम्भव हो सकेगा।

नवीन नियम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी मॉनीटरिंग का प्राविधान किया गया है। समाज में बालकों के विरुद्ध होने वाले एवं बालकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि के दृष्टिगत नवीन नियम में अपराधों के श्रेणीकरण, उनके त्वरित निस्तारण, ऐसे बालकों के पुनर्वासन आदि की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

————————————

उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेण्ट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेण्ट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के अन्तर्गत परिवहन विभाग, गृह (पुलिस) विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेण्ट परियोजना के रोड सेफ्टी के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा विश्व बैंक के ऋण से कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत 46.72 मिलियन यू0एस0 डॉलर (303.68 करोड़ रुपए) है।

विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेण्ट परियोजना की कुल लागत 570 मिलियन यू0एस0 डॉलर है, जिसमें से 400 मिलियन यू0एस0 डॉलर विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

———————————

'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना' के ई0पी0सी0 पद्धति पर छः पैकेजों में क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु तैयार किये गये संशोधित व अंतिमीकृत 'आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0' बिड अभिलेख अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना' के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन (ई0पी0सी0) पद्धति पर छः पैकेजों में क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु तैयार किये गये संशोधित व अंतिमीकृत 'आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0' बिड अभिलेखों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना की आकलित सिविल कार्य निर्माण की कुल लागत लगभग 14849.49 करोड़ रुपये है। इस धनराशि के लिए विभिन्न बैंकों से लगभग 7000 करोड़ रुपये के ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के लिए वांछित भूमि के लिए कुल 2202.38 करोड़ रुपये की धनराशि का आकलन किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा 1590 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। भूमि क्रय के लिए अब लगभग 612 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसे बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना क्रियान्वयन के लिए परियोजना के छः पैकेजों हेतु पृथक–पृथक आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 जारी कर प्राप्त बिडों के आधार पर कान्ट्रेक्टर्स का चयन किया जाएगा। सम्पूर्ण बिड प्रक्रिया में न्यूनतम 45 दिनों का समय लगता है।

इस एक्सप्रेस–वे के निर्माण से बुन्देलखण्ड के जनपदों के लिए प्रदेश की राजधानी से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे एवं यमुना एक्सप्रेस–वे के माध्यम से देश की राजधानी तक त्वरित गति की सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। एक्सप्रेस–वे के निर्माणोंपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। 04 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस–वे होने के कारण इस एक्सप्रेस–वे से ईधन की महत्वपूर्ण बचत एवं प्रदूषण नियंत्रण भी सम्भव हो सकेगा।

परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेस–वे विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा। एक्सप्रेस–वे के निकट इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर उपलब्ध होंगे।

एक्सप्रेस–वे के निर्माण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्यटन विकास को बल मिलेगा एवं विकास से वंचित इस क्षेत्र का सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास सम्भव हो सकेगा। परियोजना के क्रियान्वयन तथा उसके समीप शिक्षण संस्थाओं, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है।

———————————

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना के दो पैकेजों के ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए 'आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0' बिड अभिलेख अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना के दो पैकेजों के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन (ई0पी0सी0) पद्वति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए तैयार किये गये 'आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0' बिड अभिलेख को अनुमोदित कर दिया है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे की आकलित सिविल कार्य निर्माण की कुल लागत लगभग 5876.68 करोड़ रुपये है। इस धनराशि के लिए विभिन्न बैंकों से लगभग 2275 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के लिए वांछित भूमि के लिए कुल 1563.90 करोड़ रुपये की धनराशि का आकलन किया गया है, जिसे शासन से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना क्रियान्वयन के लिए परियोजना के दो पैकेजों हेतु पृथक–पृथक आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 जारी कर प्राप्त बिडों के आधार पर कान्ट्रेक्टर्स का चयन किया जाएगा। सम्पूर्ण बिड प्रक्रिया में न्यूनतम 45 दिनों का समय लगता है।

इस एक्सप्रेस–वे के निर्माण से गोरखपुर तथा आस–पास के जनपदों के लिए प्रदेश की राजधानी तथा पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे एवं यमुना एक्सप्रेस–वे के माध्यम से देश की राजधानी तक त्वरित गति की सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। 04 लेन प्रवेश नियंत्रित इस लिंक एक्सप्रेस–वे से ईधन की महत्वपूर्ण बचत एवं प्रदूषण नियंत्रण भी सम्भव हो सकेगा।

परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस–वे आच्छादित क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादक इकाइयों, विकास केन्द्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक

औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे हैण्डलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, भण्डारण गृह, मण्डी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों आदि की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निकट इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण से परियोजना आच्छादित क्षेत्रों के पर्यटन विकास को बल मिलेगा एवं विकास से वंचित प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों में सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास सम्भव हो सकेगा।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना के क्रियान्वयन तथा उसके समीप शिक्षण संस्थाओं, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की सम्भावना है।

————————————

कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने हेतु स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने हेतु स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।

निर्णय के अनुसार कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कुल भूमि (लगभग 589.35 एकड़) नागरिक उड्डयन विभाग के नाम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वाणिज्यिक संस्थान) के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

———————————

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेन्ट डॉक्टर्स को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के सादृश्य भत्ते प्रदान किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेन्ट डॉक्टर्स को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0), लखनऊ के सादृश्य भत्ते प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।

निर्णय के अनुसार 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकायी सदस्यों, जिनकी शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के संकाय सदस्यों की शैक्षिक अर्हता/अनुभव के समकक्ष हो तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके पदनाम, पद की न्यूनतम अर्हता, भर्ती की विधि, कार्य एवं उत्तरदायित्व, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के समकक्ष हो, को दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उन्हीं दरों एवं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार भत्ते अनुमन्य किए जाएंगे, जिस प्रकार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में अनुमन्य हैं।

इसी प्रकार, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सीनियर रेजीडेण्ट एवं जूनियर डॉक्टर्स को 01 जुलाई, 2017 से उन्हीं दरों एवं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार भत्ते अनुमन्य किए जाएंगे, जिस प्रकार इन भत्तों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में अनुमन्य किया गया है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0), लखनऊ की भांति गम्भीर रोगियों के उपचार हेतु टर्शियरी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है तथा चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2013 द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के संकाय सदस्यों को अनुमन्य समस्त भत्ते डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकाय सदस्यों को अनुमन्य किए जाने के आदेश निर्गत किए गए। शासनादेश दिनांक 19 मई, 2016 द्वारा संस्थान के गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के समान वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं।

7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 द्वारा संस्थान के गैर शैक्षणिक कार्मिकों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के समतुल्य वेतन दिया जा रहा है। शासनादेश दिनांक 27 अप्रैल, 2018 एवं शासनादेश दिनांक 20 जून, 2018 द्वारा संस्थान के संकाय सदस्यों/रेजीडेन्ट डॉक्टरों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के संकाय सदस्यों/रेजीडेन्ट डॉक्टरों के समान वेतन अनुमन्य किए गए हैं।

————————————

लखनऊ के सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल को क्रियाशील किए जाने हेतु औषधियों, सर्जिकल एवं कन्ज्यूमेबल आइटम आदि का क्रय विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रचलित दर अनुबन्ध पर किए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ को क्रियाशील किए जाने हेतु औषधियों, सर्जिकल एवं कन्ज्यूमेबल आइटम आदि का क्रय विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0), लखनऊ के हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फण्ड (एच0आर0एफ0) में प्रचलित दर अनुबन्ध के आधार पर कर लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए 31 मार्च, 2020 तक वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट ऑफ गुड्स मैनुअल, 2016 के प्राविधानों को इस सीमा तक शिथिल किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में औषधियों, सर्जिकल आइटम के क्रय हेतु ई–टेण्डरिंग की कार्यवाही की जानी है, जिसमें समय लगेगा तथा संस्थान में उपलब्ध जनशक्ति सीमित है, जबकि माह अक्टूबर, 2019 में संस्थान का आरम्भ किया जाना लक्षित है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का दर अनुबंध जो सम्प्रति अभी प्रभावी है, उसमें 4668 औषधियां एवं 2727 सर्जिकल एवं कन्ज्यूमेबल आइटम चिन्हित हैं। सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, लखनऊ द्वारा इनमें से लगभग 187 औषधियां एवं 132 सर्जिकल आइटम लिया जाना प्रस्तावित है। औषधियों का क्रय बजट की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

————————

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में बोटैनिकल गार्डन एवं योग केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में बोटैनिकल गार्डन की स्थापना हेतु 01 करोड़ रुपए एवं योग केन्द्र की स्थापना हेतु 25 लाख रुपए की धनराशि अर्थात कुल 125 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करने हेतु आय–व्ययक में केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों को कार्य विशेष के लिए नया मद आवंटित कराने एवं उक्त मद में वांछित धनराशि की व्यवस्था कराए जाने का निर्णय लिया है। स्वीकृत की जाने वाली इस धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए वर्णित कार्य को पूर्ण किये जाने विषयक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में बोटैनिकल गार्डन की स्थापना हेतु 01 करोड़ रुपए एवं योग केन्द्र की स्थापना हेतु 25 लाख की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की घोषणा की गयी।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्राविधान नहीं है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में किसी धनराशि का प्राविधान नहीं है।

विश्वविद्यालय में बोटैनिकल गार्डन की स्थापना हेतु 01 करोड़ रुपए एवं योग केन्द्र की स्थापना हेतु 25 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी है। इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग के विभागीय बजट में नए मद का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

————————

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में सावित्रीबाई गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित

मंत्रिपरिषद ने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराये जाने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यदायी संस्था नहीं है। इसलिए सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का प्रस्ताव था।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में सावित्रीबाई फुले जी के नाम से गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की घोषणा की गई। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान कराया गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा 300 छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का आगणन 18,48,82,162 रुपये (अट्ठारह करोड़ अड़तालीस लाख बयासी हजार एक सौ बासठ मात्र) उपलब्ध कराया गया है, जिसका मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराया जा रहा है। मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा धनराशि नियमानुसार अवमुक्त की जाएगी। इस गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होने के उपरान्त उसका रख–रखाव/अनुश्रवण एवं आवर्ती व्ययों का वहन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

————————

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के संकायी सदस्यों, गैर–संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेन्ट डॉक्टर्स/डिमांस्ट्रेटर्स को 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सादृश्य भत्ते प्रदान किय जाने के सम्बन्ध में

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (के0जी0एम0यू0) द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र (मुख्यतः टर्शियरी हेल्थ केयर) में उत्कृष्ट योगदान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश एवं निकटवर्ती प्रदेशों की जनता भी लाभान्वित हो रही है। के0जी0एम0यू0 के संकायी सदस्यों एवं गैर संकायी अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्चस्तरीय घोषणा के क्रम में क्रमशः शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एस0जी0पी0जी0आई0) के समान वेतन एवं भत्ते अनुमन्य किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। तद्नुरूप के0जी0एम0यू0 की परिनियमावली के क्रमशः परिनियम–10.01 (12) एवं 16.14 में भी प्राविधान है।

ऑल इण्डिया सीनियर रेजीडेन्सी स्कीम में दी गयी व्यवस्था के तहत जूनियर रेजीडेन्ट, सीनियर रेजीडेन्ट एवं सीनियर डिमांस्ट्रेटर टीचिंग पोस्ट में आगणित किये गये हैं। एम0सी0आई0 के प्राविधानों के तहत फैकेल्टी भी टीचिंग स्टाफ की श्रेणी में आते है, यद्यपि जूनियर रेजीडेन्ट, सीनियर रेजीडेन्ट एवं सीनियर डिमांस्ट्रेटर शैक्षणिक संवर्ग होते हुये भी संकाय सदस्य नहीं हैं। के0जी0एम0यू0 के संकायी सदस्यों एवं गैर संकायी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान में 6वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में क्रमशः दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं दिनांक 23 अगस्त, 2016 से एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के समान विश्वविद्यालय द्वारा भत्ते प्रदान किये जा रहे हैं। के0जी0एम0यू0 के रेजीडेन्ट डॉक्टर्स (सीनियर रेजीडेन्ट/जूनियर रेजीडेन्ट) एवं डिमांस्ट्रेटर को 6वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0 के समान भत्ते प्रदान नहीं किये जा रहे हैं, अपितु के0जी0एम0यू0 के अनुसार ही भत्ते प्रदान किये जा रहे हैं।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के संकायी सदस्यों एवं गैर संकायी अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2019 तथा रेजीडेन्ट डॉक्टर्स (जूनियर/सीनियर रेजीडेन्ट) एवं सीनियर डिमांस्ट्रेटर को शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सादृश्य भत्ते अनुमन्य किये गये हैं। उक्त के क्रम में कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 के संकायी सदस्यों, पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2019 द्वारा गैर संकायी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2019 द्वारा रेजीडेन्ट डॉक्टर्स (जूनियर/सीनियर रेजीडेन्ट) एवं डिमांस्ट्रेटर को 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के सादृश्य भत्ते दिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में के0जी0एम0यू0 के संकायी सदस्यों, गैर संकायी आधिकारियों/कर्मचारियों एवं रेजीडेन्ट डॉक्टर्स (जूनियर/सीनियर रेजीडेन्ट) एवं डिमांस्ट्रेटर को 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सादृश्य भत्ते अनुमन्य किये गये हैं।

————————————

प्रदेश के स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों के रिक्त एवं विज्ञापित पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर सीमित अवधि के लिये नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों के रिक्त एवं विज्ञापित पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर सीमित अवधि के लिये नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अन्तर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं हॉस्पिटल, लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा तथा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में संकाय सदस्यों के विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्तियों पर संविदा के आधार पर कतिपय शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिये नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित प्रकाशित कराये जाने के उपरान्त भी रिक्त पद न भरने तथा वर्तमान में केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तथा EWS आरक्षण के क्रम में प्रदेश सरकार में आरक्षण सम्बन्धी नीति विचाराधीन होने के कारण रिक्त पदों पर नियमित भर्ती किये जाने में समय लगेगा।

एम0सी0आई0 के मानकानुसार चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभागों में रोगी शैय्या एवं चिकित्सा शिक्षकों का एक निश्चित अनुपात है। चिकित्सा शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण सम्बन्धित विभागों की एम0सी0आई0 मान्यता प्रभावित हो सकती है।

स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के निदेशक/कुलपति द्वारा रिक्त पदों को Stop gap व्यवस्था के अन्तर्गत फैकल्टी

की कमी को दूर करने की अपरिहार्यता के आधार पर भरे जाने का अनुरोध किया गया है।

शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार नये एम्स के पैटर्न पर प्रदेश के कतिपय चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में रिटायर्ड फैकल्टी को संविदा पर रखने का उच्च स्तरीय निर्णय पूर्व में भी लिया जा चुका है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

———————

डॉ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ के कार्मिकों एवं परिसम्पत्तियों का डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को हस्तान्तरण एवं उभय संस्थाओं के विलय के सम्बन्ध में

डॉ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ एवं डॉ0 राम मनोहर लेहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का आपस में विलय करते हुए एक संयुक्त चिकित्सा शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2014 में लिया गया था, जिसके क्रम में शासनादेश दिनांक 08 अगस्त, 2014 निर्गत किया गया है।

संयुक्त चिकित्सालय की समस्त भूमि तथा उस पर निर्मित समस्त आवासीय/अनावासीय भवन निःशुल्क संस्थान को हस्तान्तरित किया जाना है।

संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर संस्थान में नियुक्त किये जाने, लोकबन्धु राज नारायण चिकित्सालय, लखनऊ में समायोजित किये जाने तथा लखनऊ स्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सालयों/कार्यालयों में समायोजित किया जाना है।

संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर संस्थान में नियुक्ति किये जाने, संस्थान से सम्बद्ध किये जाने एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सालयों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

संयुक्त चिकित्सालय द्वारा वर्तमान में जिन दरों पर मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, विलय के पश्चात संस्थान द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तों पर मरीजों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 02 वर्ष तक यथावत दी जाएगी तत्पश्चात परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में संस्थान द्वारा जिन दरों एवं शर्तों पर मरीजों को टर्शियरी/सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, वे सुविधाएं विलय के पूर्व की शर्तों एवं दरों पर यथावत उपलब्ध करायी जाएंगी।

————————

नदी तल स्थित उपखनिज तथा इमारती पत्थर के क्षेत्रों को ई–टेण्डर सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु एम0एस0टी0सी0लि0 को पुनः नोडल एजेन्सी/सेवा प्रदाता नामित किये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने नदी तल स्थित उपखनिज तथा इमारती पत्थर के क्षेत्रों को ई–टेण्डर सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु एम0एस0टी0सी0लि0 को पुनः नोडल एजेन्सी/सेवा प्रदाता नामित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करते हेतु नामित भारत सरकार के उपक्रम एम0एस0टी0सी0लि0 को 02 वर्ष का कार्यकाल बालू/मौरंग के सम्बन्ध में दिनांक 10.08.2019 को तथा इमारती पत्थरों के सम्बन्ध में दिनांक 11.12.2019 को पूर्ण/समाप्त हो रहा है। अतएव नदी तल स्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में दिनांक 11.08.2019 से एवं स्वस्थानें किस्म की चट्टानों के सम्बन्ध में दिनांक 12.12.2019 से नोडल एजेन्सी/सेवा प्रदाता के रूप में अधिकतम एक वर्ष तक कार्य किया जाएगा।

इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत कार्यरत एम0एस0टी0सी0लि0 मिनीरत्न श्रेणी–1 की संस्था है, जिसके द्वारा अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश/राजस्थान में भी खनन क्षेत्रों का ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी सम्पन्न कराया गया है। कई राज्यों में कोल ब्लाक्स की ई–नीलामी भी इसी संस्था द्वारा करायी गयी है।

एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा अब तक नदी तल स्थित उपखनिजों यथा बालू/मौरंग आदि के 546 खनन क्षेत्रों एवं स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिजों यथा खण्डा, गिट्टी, बोल्डर आदि के 374 खनन क्षेत्रों की नीलामी सफलतापूर्वक सम्पन्न करायी गयी है। प्रदेश में नदी तल स्थित उपखनिजों के कुल उपलब्ध लगभग 400 खनन क्षेत्रों तथा इमारती पत्थरों के लगभग 250 खनन क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है।

एम0एस0टी0सी0लि0 के ई–नीलामी प्लेटफार्म में डिजिटल सिग्नेचर श्रेणी–III का उपयोग किया जाता है, जो encryption युक्त होने के कारण सुरक्षित माना जाता है। इस पर आने वाले व्यय आवेदनकर्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। सेवा प्रदाता को 30000 रुपये + जी0एस0टी0 प्रति नीलामी क्षेत्र की दर से सेवा प्रभार (सर्विस चार्ज) प्राप्त होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बोलीदाता द्वारा जमा नॉन रिफण्डेबुल आवेदन शुल्क से की जाएगी।

————————————

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए ग्राम देवघाट (झलवा), प्रयागराज में न्याय ग्राम टाउनशिप में मा0 न्यायमूर्तिगणों के आवास एवं अन्य निर्माण कार्य (क्लब बिल्डिंग एवं कम्युनिटी सेन्टर) के सम्बन्ध में

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए ग्राम देवघाट (झलवा), प्रयागराज स्थित भू–खण्ड पर प्रस्तावित न्याय ग्राम टाउनशिप में मा0 न्यायमूर्तिगणों के आवास एवं अन्य निर्माण कार्य (क्लब बिल्डिंग एवं कम्युनिटी सेन्टर) हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा 34045.04 लाख रुपये के संशोधित परियोजना प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 03.08.2019 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में 29560.04 लाख रुपये + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर) अनुमोदन प्रदान किया गया।

मूल आगणन में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.12.2017 में 39510.56 लाख रुपये की लागत अनुमोदित की गयी थी। पूर्व स्वीकृत प्रायोजना में से जुडिशियल एकेडमी, हास्टल, निदेशक आवास, अतिथि गृह को पृथक किया गया है। प्रस्तावित प्रायोजना प्रस्ताव का निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड पर किया जाएगा।

प्रायोजना की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मा0 न्यायमूर्तिगण एवं कर्मचारियों को आवासों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय में मा0 न्यायमूर्तिगणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए देवघाट (झलवा) तहसील–सदर प्रयागराज में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपयोगार्थ न्याय ग्राम टाउनशिप प्रस्ताव किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए देवघाट (झलवा) स्थित भूखण्ड पर प्रस्तावित न्याय ग्राम, टाउनशिप में मा0 न्यायमूर्तिगणों के आवास, स्टाफ हेतु टाइप–1, टाइप–2, टाइप–3, टाइप–4, टाइप–5 तथा अन्य (क्लब बिल्डिंग एवं कम्युनिटी सेन्टर) निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य योजना प्रस्ताव 29560.04 लाख रुपये + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्ताविकता के आधार पर) प्रायोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों सहित सम्पूर्ण प्रायोजना प्रस्ताव के अनुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

————————————

उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली–2019 के प्रख्यापन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली–2019 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) की सेवाओं को विनियमित करने के लिए वर्तमान में उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली–1979 लागू है। इस नियमावली के स्टाफ नर्स (पुरुष) की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी नियम–10 एवं वेतनमान सम्बन्धी नियम–21 में संशोधन का निर्णय लिया गया है।

सेवा नियमावली के अनुसार स्टाफ नर्स के 403 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिसका विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया था। स्टाफ नर्स (पुरुष) के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में कतिपय विसंगतियां थी, जिसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की थी। मा0 उच्च न्यायालय ने इन विसंगतियों को दूर करने के उपरान्त स्टाफ नर्स (पुरुष) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कराने के आदेश दिए थे, जिसके अनुपालन में सेवा नियमावली में संशोधन कर शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी विसंगति को दूर कर दिया गया है। सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त स्टाफ नर्स (पुरुष) के 403 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी।

————————

जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु इसके पुराने चिन्हित भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के पुराने चिन्हित भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन भवनों के ध्वस्तीकरण के पश्चात भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमानित कुल धनराशि 310.08 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश की जनता को स्थानीय स्तर पर मूलभूत एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical College Attached with Exiting District/Referral Hospitals (फेज–2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है।

————————

जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु इसके पुराने चिन्हित भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के पुराने चिन्हित भवनों (टाईप–4 आवास 04 नग) के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन भवनों के ध्वस्तीकरण के पश्चात भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमानित कुल धनराशि 25.77 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश की जनता को स्थानीय स्तर पर मूलभूत एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical College Attached with Exiting District/Referral Hospitals (फेज–2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है।

————————

भूगर्भ जल विभाग में समूह–'ख' एवं समूह–'ग' (तकनीकी अधिष्ठान) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे पदों को सेवानिवृत्त कार्मिकों के माध्यम से संविदा के आधार पर भरे जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के भूगर्भ जल विभाग में समूह–'ख' एवं समूह–'ग' (तकनीकी अधिष्ठान) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे कुल 90 पदों को चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग की भांति प्रदेश के सेवानिवृत्त कार्मिकों के माध्यम से संविदा के आधार पर भरे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य/केन्द्र सरकार एवं राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों/निगमों अथवा राज्य/केन्द्र सरकार की ऐसी संस्थाएं जिसमें राज्य अथवा केन्द्र सरकार का अंश हो, से सेवानिवृत्त तकनीकी सेवा के समूह–'ख' व 'ग' के कर्मचारी जिन्हें तकनीकी कार्यों का पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, उन्हें 01 वर्ष अथवा आयोग से नियमित कार्मिकों की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, हेतु संविदा के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा।

संविदा पर समूह 'ख' (तकनीकी अधिष्ठान) के पदों को भरे जाने के लिए प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग तथा समूह 'ग' के तकनीकी पदों को भरे जाने के लिए निदेशक भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी। समूह 'ख' के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता उ0प्र0 भूगर्भ जल (अभियन्ता और वैज्ञानिक) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी, किन्तु चयन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। समूह 'ग' (तकनीकी) के अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग (अधीनस्थ और तकनीशियन) सेवा नियमावली, 1992 में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी, किन्तु चयन की अधिकतम आयु सीमा 65 होगी। संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी कालावधि के किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे इस अवधि के लिए कोई बोनस भी देय नहीं होगा।

लोक सेवा आयोग उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर संविदा पर नियुक्ति तत्काल समाप्त हो जाएगी। संविदा कार्यकाल 01 वर्ष अथवा नियमित कार्मिकों की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, होगा।

प्रदेश के भूगर्भ जल विभाग में भूगर्भ जल संसाधनों के बढ़ते महत्व एवं उसके प्रभावी प्रबन्धन के दृष्टिगत प्रदेश की भूजल सम्पदा के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास व प्रबन्धन हेतु चलायी जा रही योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रवण का कार्य चल रहा है। विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की दिन–प्रतिदिन कम हो रही संख्या के कारण विभाग को आवंटित लक्ष्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।

————————————